30/10/15	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित/बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रा० पत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोष, अप्रार्थी के जवाब एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया। पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। हाल नकल जमाबंदी ग्राम अमरकी खसरा नम्बर 127, 234/1, 102, 104/2

[signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम पर दर्ज है प्रार्थीगण का इन खसरा नम्बरान से कोई सरोकार प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थी नम्बर 1 का प्रथम दृष्टया प्रकरण है न कि प्रार्थीगण का। अप्रार्थी नं. 1 उक्त वर्णित भूमि का अभिलिखित खातेदार है, प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया कि उनका उक्त भूमि पर सेटल्ड पजेशन हो अतः प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं है। प्रार्थीगण न तो वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और न ही उनका उक्त भूमि पर एकमात्र कब्जा प्रमाणित है यदि मात्र कथनाधार पर ही अप्रार्थी को उसकी भूमि पर जोत अस्थाई व्यादेश निरुद्ध किया जाता है, तो इससे अप्रार्थी नं. 1 को ही असुविधा होगी। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति होना भी तय नहीं है। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार किया। प्रकरण की अस्थाई व्यादेश की सत्यता	

113

30/X/14

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर पाया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो जाकर इन्द्राज के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 30/10/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 30/10/19 (त्रिभुवननाथ मीणा) R.A.S.	